

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ

मध्यप्रदेश विंध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक / साख / एपी / 0171 / 2019 / 2763 भोपाल, दिनांक 28-8-19

आदेश

162


मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं डॉ.एम0के0 अग्रवाल, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवामुक्तों के सेवा नियम (नियोजन, निबन्धन तथा कार्यस्थिति) में निम्नानुसार संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ:-

- 1 सेवा नियम क्रमांक 47.2 की कण्डिका 47.2.10, 47.2.11, 47.2.12 47.2.13 एवं 47.2.14 प्रतिस्थापित ।
- 2 Rules for grant of advance for the purchase of motor cars, motor-cycles, scooters, auto cycles & pedal की कण्डिका क्रमांक 6(2) एवं कण्डिका क्रमांक 8 में संशोधन,

उक्त आदेश आज दिनांक 28-08-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से

जारी किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(डॉ.एम0के0 अग्रवाल)
पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28-8-19

क्रमांक / साख / एपी / 0171 / 2019 / 2763
प्रतिलिपि,

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, म.प्र.।

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।

राजपत्रित अधिकारी, (समस्त) मुख्यालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ.एम0के0 अग्रवाल)
पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ म.प्र.

316


31-8-19

31/8/19

31/8/19

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवा नियम में संशोधन

क्र.	सेवानियम क्रमांक	कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	47	47.2.	—	<p>47.2— "गौण कदाचार"</p> <p>(1) 47.2.10— कार्यो में उदासीनता ।</p> <p>(2) 47.2.11—बगैर अनुमति अवकाश पर प्रस्थित होना ।</p> <p>(3) 47.2.12—उच्चाधिकारियों से असंसदीय भाषा का प्रयोग करना ।</p> <p>(4) 47.2.13— कार्यालयीन औपचारिक वेशभूषा का धारण न किया जाना ।</p> <p>(5) 47.2.14—कार्यालयीन परिपत्रों / दिशा निर्देशों की अवहेलना करना</p>	नवीन प्रतिस्थापित




अनुमोदित

(Signature)

प्रबंधक
 मर्यादित भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवानियम, नीति / नियम में संशोधन
(Rules for grant of advance for the purchase of Motor Cars, Motor-Cycles, Scooter, Auto cycle & Pedal.)

क्र.	नियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण / रिमार्क
1	2	4	5	6
1	6.(2)	The new car must be insured and mortgaged to the Bank as required by these rules.	The new car must be insured and Hypothecated to the Bank as required by these rules	आंशिक संशोधन
2	8	At the time of drawing the advance the employee should be required to execute an agreement in prescribed and on completing the purchase, he should further be required to execute a mortgaged bond in form prescribed hypothecating the car to the Bank as a security for the advance. The cost price of the car should of specification attached to the mortgaged bond .	At the time of drawing the advance the employee should be required to execute an agreement in prescribed and on completing the purchase, he should further be required to execute a Loan Cum Hypothecation Agreement . In form prescribed hypothecating the car to the Bank as a security for the advance. The cost price of the car should of specification attached to the Loan Cum Hypothecation Agreement .	आंशिक संशोधन



अनुमोदन

Signature
पंजीयक
के. वि. वि. वि.